ग्राम पंचायतों में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका

डॉ० सीमा रानी
असि० प्रो०, समाजशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय
जहाँगीराबाद, बुलन्दशहर (उ0प्र0)

सारांश

भारत की अधिकांश आबादी गाँवों में रहती है। भारत के गावों की पंचायती राज प्रणाली दुनिया में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का अनोखा और नायाब उदाहरण है। यह ग्रामीण समाज को अपनी जरूरतों और विकास सम्बन्धी प्राथमिकताओं का स्वयं निर्धारण करने का अवसर प्रदान करती है। भारत देश की ग्रामीण आबादी का लगभग आधा हिस्सा ग्रामीण महिलाओं का है। संविधान के अन्तर्गत पंचायत में ग्रामीण महिलाओं को 33 प्रतिशत भागीदारी का अधिकार प्राप्त है। यद्यपि इसके बावजूद ग्रामीण महिलाओं को उनकी वास्तविक भागीदारी आज भी प्राप्त नहीं हो पाई है। आरक्षण के बावजूद सत्ता के छद्म उपयोग की विषम परिस्थिति विनिर्मित हुयी हैं। स्पष्ट प्रशासनिक निर्देशों के उपरान्त भी प्रधानपति या अन्य रिश्तेदार उनके अधिकारो का छद्म उपयोग करते देखे गयें जा सकते है। इसके अलावा विकास कार्यों के प्रति जागरूकता का अभाव और छद्म सत्ता केन्द्रों के उदय के कारण महिलाओं की पंचायती राज में प्रस्थिति कमजोर हुई है। इसके अनेक कारण है जैसे महिला अशिक्षा, राजनीति अनुभवहीनता, राजनीतिक चेतना का अभाव व अधिकार प्राप्ति हेतु उत्साह की कमी।

मूल शब्द

पंचायती राज, लोकतंत्र, महिला प्रतिनिधि, प्रधानपति, अशिक्षा, राजनीतिक अनुभवहीनता।

शोध पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः

डॉ० सीमा रानी

"ग्राम पंचायतों में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका"

शोध मंथन, मार्च 2018,
पेज सं0 22–27

Article No. 4
http://anubooks.com
?page_id=581

आज भारतीय ग्रामीण क्षेत्र की आबादी में अहम व बड़ा हिस्सा महिलाओं का है। सभी ग्रामीण महिलाओं की स्थिति एक समान नहीं है। क्षेत्र के अनुसार उनकी अलग–अलग आवश्यकताएं होती हैं। ग्रामीण और शहरी महिलाओं के बीच भी बड़ा अंतर विद्यमान है। कुल कार्य में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी 30 प्रतिशत है (2011 की जनगणना के अनुसार) यह स्थिति शहरी महिलाओं की कार्य में भागीदारी 15.4 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) से अधिक है। लेकिन कार्यक्षेत्र में इतनी अधिक भागीदारी के उपरान्त भी ग्रामीण महिलाओं को जो लाभ मिलने चाहिये थे वे नहीं मिल पाये। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू का कथन है कि महिलाओं की स्थिति ही देश के विकास को सूचित करती है लेकन भारत में आज भी खासतौर से ग्रामीण महिलाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान की मुख्यधारा से जुड़ने में रूकावटें महसूस करती हैं।

भारत की 71.2 प्रतिशत आबादी गाँवों में रहती है। भारत के गावों की पंचायती राज प्रणाली दुनिया में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का अनोखा और नायाब उदाहरण है। यह ग्रामीण समाज को अपनी जरूरतों और विकास सम्बन्धी प्राथमिकताओं का स्वयं निर्धारण करने का अवसर प्रदान करती है। पंचायती राज जब से स्थापित हुआ है, तभी से इसकी व्यवस्था, कार्यप्रणाली और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर विपुल साहित्य प्रकाशित हुआ है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने पंचायती राज पर अनेक अध्ययन किये हैं। जिसमें अनेक अध्ययन पंचायत में निर्वाचित महिला सदस्यों की भूमिका पर भी किये गये।

के0सी0 विद्या(1997) : आपने महिलाओं को स्थानीय स्तर पर राजनीतिक शक्ति प्रदान करने के संदर्भ में इन्द्रियानुभाविक अध्ययन किया। यह अध्ययन कर्नाटक के बैंगलोर ग्रामीण जिले की महिला प्रतिनिधियों के सर्वेक्षण पर आधारित है। इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि महिला नेतृत्व का चूंकि यह पहला राजनीतिक अनुभव है, अतः उनकी पंचायतों में कार्य प्रणाली व भूमिका के निर्वहन में अपेक्षित स्थिति का प्राप्त होना अभी शेष है।

विविन्द कुमार सोनी (2000 : 29) आपके अनुसार निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की अनेक उपलब्धियां हैं जिससे सामाजिक परिवर्तन की झलक साफ दिखाई देने लगी है। कुछ संक्षिप्त विवरण महिलाओं के कार्यों और निर्णयों की आश्चर्यजनक तस्वीर पेश करते हैं। अपने लेख में श्री सोनी ने महिला सशक्तिकरण में बाधांओं का भी उल्लेख किया है। वह लिखते हैं कि अनेक स्थानों पर जब महिला प्रतिनिधि अपनी जागरूकता का परिचय देने आगे आती हैं और अधिकारों के प्रति उत्सुकता दिखाने की कोशिश करती हैं तो ग्रामीण समाज का अधिकांश दबंग पुरूष वर्ग उनका अनेक प्रकार से शोषण करता है और अमानवीय व्यवहार करता है।

डॉ. लक्ष्मी राजी कुलश्रेष्ठ (2001 : 13–16) इन्होंने अपने लेख "पंचायती राज और महिलाए" में लिखा है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण के फलस्वरूप अब महिलाओं की मनः स्थिति बदल रही है। वे अब अपना पक्ष पूरी निर्भिकता तथा निष्पक्षता से बैठकों में रखने लगी हैं। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से उन्हें एक नया परिवेश मिल रहा है। जो उनके लिए प्रगति और विकास के द्वार तो खोल ही रहा है, पुरूष तथा स्त्री के बीच समाज में जो सामाजिक विषमता है उसमें भी कमी हो रही है।

सुधा पिल्ले (2001 : 35–37) इन्होंने अपने लेख "पंचायती राज द्वारा अधिकार संपन्नता" में लिखा हैं कि संविधान के 73 वें संशोधन से लगभग 10 लाख महिलाएं त्रि–स्तरीय ढांचे में सदस्य और अध्यक्ष पदों पर कार्यरत हैं। निश्चित ही इससे अब तक ठहरे ग्रामीण समाज में बदलाव आया है। महिलाओं की अध्यक्षता वाली कई पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व का न केवल जमीनी प्रशासन पर असर पड़ा है बल्कि घरों से बाहर शक्ति और जिम्मेदारियां सम्भाल पाने की समर्थता के बारे में कई भ्रांतिया भी दूर हो गयी हैं।

राजेश कुमार केसरी (2003 : 30–31) के अनुसार यदि हम पंचायती राज प्रणाली पर दृष्टिपात करें तो वह स्त्रियों दलित एवं कमजोर वर्ग सशक्तिकरण के प्रयास करती हुई प्रतीत होती हैं और अपनी राजनीतिक सहभागिता प्रदर्शित करना चाहती हैं। अतः उपरोक्त अध्ययन निर्वाचित पंचायत महिला सदस्यों के लिए एक बड़ी चुनौती है कि अपने पारिवारिक दायित्वों को निभाने के साथ–साथ एक वर्ग के रूप में अपनी सूझ–बूझ और निर्णय लेने की क्षमता दिखानी होगी। साथ ही सामुदायिक कल्याण के लिए अपनी कल्पनाशक्ति व प्रतिबद्धता भी सिद्ध करनी होगी। भारत देश की ग्रामीण आबादी का लगभग आधा हिस्सा ग्रामीण महिलाओं का है। संविधान के अन्तर्गत पंचायत में ग्रामीण महिलाओं को 33 प्रतिशत भागीदारी का अधिकार प्राप्त है। यद्यपि इसके बावजूद ग्रामीण महिलाओं को उनकी वास्तविक भागीदारी आज भी प्राप्त नही हो पाई है।

यहाँ पर हमें भारत में पंचायती राज संस्थाओं के कानूनी ढाँचे और इसमें महिलाओं के स्थान पर दृष्टि डालना आवश्यक है। अनुच्छेद 40 के अनुसार– संविधान के अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में से एक को प्रतिष्ठापित किया गया और व्यवस्था की गई कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाते हुए उन्हें ऐसे अधिकार व शक्तियां देगा, जिससे वे स्वशासन की इकाइयों के रूप में सुचारु रुप से कार्य करने में सक्षम बने।

इसी के अनुपालन में पंचायती राज संस्थाओं का कई राज्यों मे गठन किया गया। लेकिन इसमें कई कमियां थी जैसे चुनावों का समय से न होना और इनके पास कोई वास्तविक शक्तियों के विकास सम्बन्धी भूमिकाएं नहीं होना।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये 73 वां संविधान संशोधन अधिनियम,1992 अस्तित्व में आया।

73 वें संविधान संशोधन का प्रारूप– इस संशोधन में संविधान के अन्तर्गत एक नया खंड जोड़ा गया, जिसका शीर्षक है पंचायते। इसमें अनुच्छेद 243 से 243(0) के प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। इसके अलावा एक नई 11 वीं अनुसूची भी शामिल हुई। इसमें पंचायतो के कार्यों के दायरे मे 29 नए विषय शामिल हुए और नीति निर्देशक तत्वों सम्बन्धी अनुच्छेद 40 पर अमल करना प्रारम्भ हुआ। इसी संशोधन के अन्तर्गत निम्न प्रावधान किये गये। जैसे पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की व्यवस्था, सभी पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो उनकी कुल जनसंख्या के अनुपात मे होगी और इनमें से एक तिहाई सीटे इन समूहों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। संविधान के इसी संशोधन के अन्तर्गत एक तिहाई महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की गयी।

भारत में पांच राज्य ऐसे हैं जहां पर पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत तक का आरक्षण प्राप्त है। सन् 2006 में बिहार ऐसा प्रथम राज्य बना जहां पंचायत में महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण सुनिश्चित किया। इसके उपरान्त छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में भी महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया। इसके अलावा सिक्किम में महिलाओं के लिए पंचायत में आरक्षण 40 प्रतिशत कर दिया गया।

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियो की वास्तविक भूमिका

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण व कुछ राज्यों द्वारा 50 प्रतिशत आरक्षण के बावजूद निर्वाचित महिला प्रतिनिधि ग्राम पंचायतों में कोई कारगर भूमिका नहीं निभा पा रही है। इसका एक कारण तो यह है कि उनके पास गाँव के प्रशासन के लिए उपयुक्त जानकारी व पर्याप्त कौशल प्राप्त नहीं है। जिसके फलस्वरूप उनके पति ही पंचायत के कर्ता धर्ता बन जाते हैं। हालांकि आरक्षण के बावजूद सत्ता के छद्म उपयोग की विषम परिस्थिति विनिर्मित हुयी है। स्पष्ट प्रशासनिक निर्देशों के उपरान्त भी प्रधानपति या अन्य रिश्तेदार उनके अधिकारों का छद्म उपयोग करते देखे जा सकते हैं। इसके अलावा विकास कार्यों के प्रति जागरूकता का अभाव और छद्म सत्ता केन्द्रों के उदय के कारण महिलाओं की पंचायती राज में प्रस्थिति कमजोर हुई है। इसके अनेक कारण हैं जैसे महिला अशिक्षा, राजनीति अनुभवहीनता, राजनीतिक चेतना का अभाव व अधिकार प्राप्ति हेतु उत्साह की कमी। इसके अतिरिक्त आर्थिक रूप से पराश्रितता, कार्य करने की स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। भारतीय ग्रामीण समाज की सामाजिक रीतियाँ, विश्वास तथा रूढ़ियां जो समाज पर सामाजिक निर्योग्यताएँ लागू करते हैं, उनके व्यक्तित्व के विकास में बाधक हैं। इसके अलावा भारत के पुरूष प्रधान समाज की मानसिकता, पारिवारिक पुरूषों का अहम् और पुरूषों पर महिलाओं की निर्भरता ग्रामीण पंचायत बैंठकों में प्रतिभाग करने के लिए भी किसी पारिवारिक पुरूष जैसे पिता, पति या भाई की आवश्यकता महसूस होना। अतः कहा जा सकता है कि ग्रामीण महिला प्रतिनिधियों में किसी प्रकार की ऊर्जा, उत्साह व कर्मठता की कमी नहीं है, उनमें कर्तव्य निष्ठाव समर्पण से काम करने की शक्ति मौजूद है।

पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमतायें व उनके लिए आयोजित सरकारी योजनायें–

देश में पंचायती राज में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता निर्धारण की आवश्यकता को देखते हुए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से 17 अप्रेल 2017 को देशभर में महिलाओं की क्षमता के निर्माण और महिला पंचायत नेताओं के प्रशिक्षण के बारे में एक विस्तृत मॉडयूल शुरू किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य गांवों के शासन और प्रशासन के क्षेत्र में पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमताओं, दक्षताओं और कौशल का विकास करके उन्हें अधिकार–सम्पन्न बनाना है। झारखंड से शुरूआत करते हुए यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम देश भर में विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राज्यो के ग्रामीण विकास संस्थानों और पंचायतो की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियो को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रतिभागिता पर आधारित है जिसमें सामूहिक चर्चाओं, व्याख्यानों, प्रदर्शन, क्षेत्र का दौरा करना, कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा।

डॉ० सीमा रानी

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने समाज के सबसे निचले स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में महिला प्रधानों, महिला सरपंचों व अन्य महिला प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की देशव्यापी कार्यक्रम की शुरूआत की है। इस प्रशिक्षण से महिला सरपंचो को आम आदमी, उपेक्षित और विवादग्रस्त लोगों के लाभ की योजनाओं और कार्यक्रमों पर अमल करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम से इन महिलाओं को नेतृत्व के अगले पायदान तक पहुँचने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा यह बताना आवश्यक होगा कि महिलाओं की सुरक्षा, बालिकाओं की शिक्षा, महिला स्वास्थ्य, रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण और देश भर में फैली लाखों आंगनबाड़ियों के जरिए पौष्टिक आहार की समाज के सबसे निम्न स्तर एक महत्वपूर्ण मुददा बनता जा रहा है। महिला सरपंच इन सब में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ पंचायतों की निर्वाचित महिला सदस्य कितना उठा सकती हैं ? इस समय देश में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 13 लाख है। अगर सम्पूर्ण देश की महिला सरपंचों को प्रशिक्षितं कर दिया जाए तो ग्रामीण अंचल में निम्न बदलाव देखे जा सकेंगे। इससे आदर्श ग्रामों के निर्माण में मदद मिलेगी।

ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी पहल आदि पर चर्चा चल सकती है और निर्णायक भूमिका अदा कर सकती है। स्थानीय विकास की कार्य योजनाओं का निर्माण करने तथा उनमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उपाय कर सकती है। पुरूष वर्ग विशेषकर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के परिवार के पुरूष सदस्यों को महिलाओं की क्षमता वृद्धि में सहायक की भूमिका निभाने की जरूरत है। यह समय की मांग है। इसमें महिलाओं के आरक्षण की सार्थकता भी निहित है।

इतनी बड़ी सामाजिक भूमिका निभाने में बहुत सी महिला प्रतिनिधियों का साक्षर न होना मुश्किल तो उत्पन्न करता है पर रुकावट नहीं, क्योंकि जिस समझदारी व सूझ–बझ की आवश्यकता इस नई भूमिका को निभाने में है उसमें शिक्षित होना एक सहूलियत तो है पर उसकी कमी अड़चन नहीं पैदा कर सकती।

इसके द्वारा महिलाओं को भविष्य की नेत्रियों के रूप में तैयार करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सामाजिक–आर्थिक दशा सुधारने व निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। अतः ग्रामीण महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के पंचायती राज में उनकी भूमिकाओं को प्रभावित करने वाले सभी पहलुओं चाहे वह सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक हो, का प्रभावी सम्मिलन आवश्यक है। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना एक सतत प्रक्रिया है आज आवश्यकता इसी बात की है कि महिलाओं को उनकी क्षमता का अहसास कराया जाए, उन्हें इसके प्रति जागरूक किया जाए और उनका मार्गदर्शन किया जाए।

सन्दर्भ

1. श्रीवास्तव, राकेश **(2018)** *ग्रामीण महिलाओ का सशक्तिकरण,* आगे की राह,कुरुक्षेत्र, **जनवरी 2018 पेज 5–8**
2. डॉ. दयाल, राजेश्वर, *पंचायती राज इन इण्डिया,* नई दिल्ली
3. मिश्रा, एस0एन0 , पैटर्न ऑफ इमरजिंग लीडरशिप इन रुरल इण्डिया
4. प्रभु, पी0एच0, हिन्दु सोशल आर्गेनाइजेशन,बाम्बेप्रकाशन **1979.**
5. महिलाएं और पंचायतें, कुरुक्षेत्र, जनवरी **2018 P–36–37**
6. रामकुमार **(2010),** *ग्राम पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी एक अध्ययन,* शोध मंथन जनरल अनुबुक्स मेरठ **पेज नं0 33–42**
7. *पंचायती राज व ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका,* **शोध गंगा।**
8. भारत में महिलाओं की स्थिति **(2001)** *राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण, राष्ट्रीय आयोग,* नई दिल्ली।